

प्रकरण सं. - 61A/15 वाद

शिवानलाल अनाम भैरवलाल

16/7/24

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप सूचना पत्र

के लिये मौका चाहते हैं। अतः प्रस्ताविकांती अर्थात् 2 अंतिम

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 08/10/24

को पेश हो।



(SDO) मावली

01/10/24 पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता  
 मय वादीगण न्यायालय में उपर दृष्टा। शिवानलाल  
 वादीगण मय अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वाकल  
 वाद विद्रो प्रस्तुत किया। जिसमें वादी ने 20  
 बताया कि इस प्रकरण में प्रसकारन के मध्य 10  
 लोड अमानता की भावना से राजीनामा ले 10  
 गया है। इसलिए उक्त प्रकरण को अब (शंकरलाल  
 आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वाद इसी स्तर 50)  
 पर खारिज किया जावे। अतः जरिफ विद्रो खारिज  
 किया जावे।

हमने वादीगण के विद्रो प्रार्थना पत्र का  
 ध्यानपूर्वक भवलोकात किया। पत्रावली का अध्ययन  
 किया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पत्रावली में कोई  
 प्रतिदावा (काउंटर क्लेम) पेश किया हुआ नहीं है  
 वादीगण की वादी अधिवक्ता श्री शंकरलाल डोंगी  
 द्वारा नस्तीब की गई।

अतः वादीगण का वाद स्वयं के प्रार्थना  
 पत्र के आधार पर जरिफ विद्रो खारिज किया  
 जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद जरिफ विद्रो खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली फेंचल शुमार होकर



01/10/24  
 (शंकरलाल डोंगी पुताडिया)  
 (SDO) मावली

